



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-391 राँची, मंगलवार,

3 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 जुलाई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-73/2017-14745-- (HRMS) मो० अनिस, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाँड़, लातेहार के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1713, दिनांक 05.06.2017 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक- 296/म०को०, दिनांक 19.04.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

(i) योजना संख्या-07/2015-16 आंगनबाड़ी केन्द्र, गायघाटी से लेकर दुर्गाबाड़ी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में मजदूरों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है। इस योजना में JCB से कार्य कराये जाने की पुष्टि की गई है। इस प्रकार महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तथा मजदूरों का हक एवं अधिकार से वंचित रखा गया है।

अभिलेख के अनुसार मो०-3,08,550/- रु० व्यय किया गया है जबकि मापी पुस्त के अनुसार कार्य का मूल्यांकन मो०-2,53,481/- रु० किया गया है, जिससे परिलक्षित होता है कि बिना मापी पुस्त अवलोकन किये ही मापी पुस्त में दर्ज राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

(ii) योजना संख्या-01/2015-16 आंगनबाड़ी केन्द्र, बराही से लेकर बैगा बगीचा तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में मजदूरों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है। कनीय अभियंता के द्वारा उक्त योजना में जो मापी पुस्त का संधारण किया गया है, उसमें मशीन से किये गये कार्य की गणना मानव श्रम के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा बिना जाँच के ही उपर्युक्त योजना में मापी पुस्त के आधार पर मो० 3,05,208/- रुपये भुगतान किया गया ।

इस प्रकार आपके लापरवाही एवं संलिप्तता के कारण JCB से कराये कार्य को मनरेगा मजदूरों का दिखाकर कुल (2,56,608\$3,05,208) 5,61,816/- रु0 अवैध रूप से सरकारी खजाने से निकासी कर ली गई है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10004, दिनांक 20.09.2017 द्वारा मो0 अनिस से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में मो० अनिस द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० अनिस के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11859, दिनांक 04.12.2017 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-3006/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 28.12.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

मो० अनिस से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इस पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य पर विभागीय पत्रांक-5787, दिनांक 01.08.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय मंतव्य की माँग की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-202, दिनांक 18.01.2019 द्वारा उपायुक्त, लातेहार द्वारा समर्पित मंतव्य पर विभागीय असहमति प्रतिवेदित करते हुए मंतव्य दिया गया कि राशि वापसी से मो0 अनिस दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं। वे गंभीर वित्तीय अनियमितता के दोषी हैं ।

मो० अनिस के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण, उपायुक्त, लातेहार द्वारा समर्पित मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-1500(hrms), दिनांक 28.03.2019 द्वारा मो0 अनिस के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-136, दिनांक 07.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिया गया है- आरोप सं०-1- ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। अपितु पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों, मस्टर रॉल एवं अभिश्रव पर उनका हस्ताक्षर होने के आधार पर ही मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान करने हेतु FTO कर दिया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों, मापी पुस्तिका एवं योजना संख्या-07/2015-16 के एसेट रजिस्टर की छायाप्रति के अवलोकन से इस आरोप की पुष्टि होती है। यद्यपि आरोपी एवं अन्य कर्मियों के द्वारा कुल 3,37,711/- रु० जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के नजारत में बिना किसी आपत्ति के जमा कर दिये जाने से भी यह आरोप सही प्रतीत होता है । आरोप सं०-2- ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है । अपितु पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों, मस्टर रॉल एवं अभिश्रव पर

उनका हस्ताक्षर होने के आधार पर ही मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान करने हेतु FTO कर दिया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों, मापी पुस्तिका एवं योजना संख्या- 01/ 2015-16 के एसेट रजिस्टर की छायाप्रति के अवलोकन से इस आरोप की पुष्टि होती है। यद्यपि आरोपी एवं अन्य कर्मियों के द्वारा कुल 3,92,143/- रु० जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के नजारत में बिना किसी आपत्ति के जमा कर दिये जाने से भी यह आरोप सही प्रतीत होता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उनके मंतव्य से सहमत होते हुए मो०अनिस के विरुद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित प्रस्तावित किया गया, जिस पर विभागीय पत्रांक-565, दिनांक 27.01.2021 द्वारा मो० अनिस से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। मो० अनिस के पत्र, दिनांक 01.03.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। मो० अनिस द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) इनके द्वारा कहा गया कि स्थल भ्रमण करके एवं मस्टर रॉल, अभिश्रव पर रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता का हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया गया था। उस समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनियमितता की कोई शिकायत नहीं की गई थी। उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-1165, दिनांक 30.12.2016 के आलोक में कुल 06 पदाधिकारी/कर्मियों से 3,37,711/- रुपये वसूली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोई भी कर्मियों राशि जमा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मिट्टी मोरम रोड का कार्य हुआ था। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर संबंधित व्यक्तियों को समझाने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में श्री राजेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 05.01.2017 को 56,285/- रुपये जमा किया गया। उप विकास आयुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-168, दिनांक 28.02.2017 को पुनः राशि 3,37,711/- रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था।

(ii) इनके द्वारा कहा गया कि स्थल भ्रमण करके एवं मस्टर रॉल, अभिश्रव पर रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता का हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया गया था। उस समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा अनियमितता की कोई शिकायत नहीं की गई थी। उपायुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-1165, दिनांक 30.12.2016 के आलोक में कुल 06 पदाधिकारी/कर्मियों से 3,92,143/- रुपये वसूली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कोई भी कर्मियों राशि जमा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मिट्टी मोरम रोड का कार्य हुआ था। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर संबंधित व्यक्तियों को समझाने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में श्री राजेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 05.01.2017 को 65,357/- रुपये जमा किया गया। उप विकास आयुक्त, लातेहार के ज्ञापांक-168, दिनांक 28.02.2017 को पुनः राशि 3,92,143/- रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था।

मो० अनिस द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में वही बातें दोहरायी गयी हैं, जो उनके द्वारा अपने बचाव बयान में पूर्व में कहा गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के बिना किसी आपत्ति के फर्जी मास्टर रॉल के आधार पर भुगतान की गयी राशि को पुनः वापस करने के आधार पर प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप को सही पाया गया है, अतः मो० अनिस द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, मो० अनिस, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाँड़, लातेहार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD ANISH 110033186520	मो० अनिस, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडाँड़, लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० अनिस, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
